संख्या:82/2021/2294/12-2-2021-एफ.42/2001

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2021

विषय:उर्वरक रैक का जनपदों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनलोडिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या: 23/2021/1095/12-2-2021-एफ.42/ 2001 दिनॉक 27 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उर्वरक रैक का जनपदों में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनलोडिंग कराने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए थे।

2. उल्लेखनीय है कि कृषकों द्वारा रबी फसलों की बुवाई का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, इसलिए उर्वरकों का जनपदों में शीघ्रता से आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय जनपदों (सूची संलग्न) में उर्वरक रैक की अनलोडिंग में विलम्ब हुआ है।

3. अत: उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उर्वरक रैक अनलोडिंग कराई जाए तथा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करायी जाय:-

(1) जनपद में उर्वरक रैक प्राप्त होने के पूर्व उसकी ऑन-लाइन ट्रैकिंग की जाए तथा रैक प्राप्त होने के 02 दिन पूर्व अन-लोडिंग हेतु श्रमिक इत्यादि एवं स्थानीय ट्रान्सपोर्टेशन की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए।

(2) यदि रैक रात्रि में प्राप्त होती है तथा सम्बन्धित रैक प्वाइंट में अन-लोडिंग की व्यवस्था न होने की स्थिति में प्रात: काल से ही तत्परता से अन-लोडिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। रेल प्रशासन से सम्पर्क कर प्रयास यह किया जाए कि रैक प्वाइंट पर रात्रिकालीन अन-लोडिंग की व्यवस्था हो जाए।

(3) उर्वरक रैक प्राप्त होने के पूर्व ही बिक्री केन्द्रवार उर्वरक आवन्टन की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति के द्वारा पूर्ण कर ली जाए, जिससे कि रैक प्राप्त होने पर शीघ्रता से उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर ट्रान्सपोर्टेशन हो सके। आवंटन की ऐसी प्रक्रिया हो कि मांग वाले क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं के पास स्टॉक उपलब्ध हो जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) जहॉ-जहॉ फास्फेटिक उर्वरकों की अत्यधिक मांग है, वहॉ पर रैक प्राप्त होने पर सम्पूर्ण मात्रा सीधे बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति करने पर विचार किया जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:82/2021/2294(1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. समस्त राज्य विपणन प्रबन्धक/विपणन प्रबन्धक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in